

कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 8040-45 / जी-195 / 2022-23 / अधि0

दिनांक 28 अक्टूबर 2022

आदेश

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-3885/NHMUK/HR/2021-22/155 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के क्रम में 36 संविदा फार्मिसिस्टो को निदेशालय के आदेश संख्या-7288-93/जी0-195/2022-23/अधि0 दिनांक 18 अक्टूबर 2022 के द्वारा सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त किया गया था, जिसमें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अनुबन्ध की कार्यवाही मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 से करने के निर्देश प्रदान किये गये थे उक्त आदेश निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

1. अनुबन्ध की कार्यवाही सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के साथ किया जायेगा।
2. नियुक्त किये गये फार्मिसिस्टो की नियुक्ति 31 मार्च 2023 तक अथवा उक्त योजना के चलने तक जो भी पहले गठित हो तक के लिए की जाती है।
3. सम्बन्धित अभ्यर्थी अपनी योगदान सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में दिनांक 07 नवम्बर 2022 प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निदेशालय के आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(डॉ0 अरूण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित संविदा फार्मिसिस्ट।
7. गार्ड फाईल।

(डॉ0 अरूण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक